तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
22/12/2020	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी। बरवक्त बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष निर्णय पारित फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी में अपना दर्ज नाम राजू पुत्र मदनलाल के स्थान पर राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र मदनलाल वर्मा दुरूस्त करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के पहचान के अन्य दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल दर्ज है साथ ही प्रार्थी की माता ने इस बाबत शपथ पत्र भी पेश किया है कि प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल ही है किन्तु विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का बोलता नाम राजू पुत्र मदनलाल दर्ज हो गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 691, 722, 723 725 तन ग्राम दुल्हेपुरा के 1/6 हिस्से में प्रार्थी का नाम "राजू पुत्र मदनलाल" के स्थान पर "राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र मदनलाल वर्मा" दुरूस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील शामील फैसल रेकार्ड हो। यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/12/2020 (राकेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) खण्डेला, सीकर

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner